प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 26.09.2017 को आयोजित Waste to Energy Plant की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक 26.09.2017 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में Waste to Energy Plant के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना, प्रबंध निदेशक, बुडको, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगौल, फुलवारी शरीफ, दानापुर एवं फतुहा, परियोजना निदेशक, बुडको, सुनील हाईटेक एजेंसी के निदेशक तथा संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित हुए।

2. रामचक बैरिया स्थित Waste to Energy Plant में वर्तमान में संवेदक एजेंसी द्वारा क्या–क्या कार्य किए गए हैं, उसके संबंध में बुडको द्वारा जानकारी दी गयी।

3. एजेंसी के निदेशक द्वारा बताया गया कि योजना का Consent to Operate and Consent to the Establish बुडको को समर्पित कर दिया गया है।

परियोजना निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि संवेदक एजेंसी के साथ बैठकर जो भी environmental clearance certificate एजेंसी से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे प्राप्त किया जाय।

एजेंसी के निदेशक को निर्देश दिया गया कि environmental compliance का सभी certificate बुडको को उपलब्ध कराया जाय।

4. प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि एक टीम गठित कर Waste to Energy Plant का निरीक्षण कराया जाय। इस टीम में पटना नगर निगम के अभियंता को रखा जाय। यह टीम संवेदक एजेंसी द्वारा एकरारनामा के अनुसार कौन–कौन से कार्य नहीं किए गए हैं, उनका चेकलिस्ट तैयार करेगी। इस टीम द्वारा चेकलिस्ट में environmental compliance को भी सन्निहित किया जाएगा और कौन–कौन से compliance certificate एजेंसी से अभी प्राप्त किये जाने हैं, उन्हें भी चेकलिस्ट में सन्निहित किया जाएगा।

5. परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि रामचक बैरिया में कूड़ा डम्पिंग स्थल पर अभी तक एजेंसी द्वारा इंटरनल पक्का रोड का निर्माण अधिकाँश स्थानों पर नहीं किया गया है, जिसके कारण वाहन के आने–जाने में अत्यंत ही कठिनाई होती है एवं बरसात के दिनों में वाहन लैंडफिल साईट तक नहीं पहुँच पाती है, फलस्वरूप कूड़ा लैंडफिल साईट के बाहर ही डंप कर दिया जा रहा है।

प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि संवेदक एजेंसी को इंटरनल पक्का रोड के निर्माण हेतु समयावधि निर्धारित करते हुए अंतिम नोटिस दिया जाय। यदि निर्धारित अवधि तक रोड का निर्माण नहीं हो पाता है तो एकरारनामा के शर्त्तों के अनुसार कांट्रैक्ट रद्द करने की कार्रवाई की जाय।

6. परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि लैंडफिल साईट तक वर्तमान में पहुँच पथ Single Lane का है, जिसके कारण वाहन का Turning नहीं हो पाता है और एक समय में एक ही वाहन का आवागमन हो पाता है।

कार्यकार एजेंसी के निदेशक को निर्देश दिया गया कि weighing bridge के निकट रोड को चौड़ाई बढ़ायी जाय एवं पहुँच पथ के रोड को double lane का किया जाय ताकि वाहन के

Turning हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध हो सके एवं एक ही रोड से वाहन का आवागमन सुनिश्चित हो सके।

7. कार्यकारी एजेंसी के निदेशक को निर्देश दिया गया कि Waste to Energy Plant के कार्य की पूर्णता की समयावधि निर्धारित करके 2 दिनों के अंदर detailed chart बुडको एवं विभाग को उपलब्ध कराया जाय। यह भी निर्देश दिया गया कि वर्ष 2016–17 का MSW rules का compliance बुडको को उपलब्ध कराया जाय।

8. उप नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि गर्दनीबाग लैंडफिल साईट पर एजेंसी के कोई कर्मी नहीं रहते हैं एवं कभी कोई कर्मी रहते भी हैं तो उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण बरसात के मौसम में 2 महीने तक कूड़ा को लैंडफिल साईट पर डम्प करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

इस संबंध में कार्यकारी एजेंसी से पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि साईट पर उनका कैम्प कार्यालय स्थापित है एवं उनके कर्मी भी उपलब्ध रहते हैं। निर्देश दिया गया कि वे इस हेतु कैम्प कार्यालय में उपस्थित कर्मी की उपस्थिति का नियमित से अनुश्रवण करेंगे।

9. प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि Waste to Energy Plant के कार्य के अनुश्रवण हेतु एक स्वतंत्र अभियंता की प्रतिनियुक्ति की जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

26/9/2017

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक– 6466 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 3/10/17

प्रतिलिपि :– नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगौल, फुलवारी शरीफ, दानापुर एवं फतुहा/परियोजना निदेशक, बुडको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित कार्यकारी एजेंसी "सुनील हाईटक" को कार्यवाही की प्रति अपने स्तर से उपलब्ध कराएंगे।

26/9/2017
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 6466 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 3/10/17

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/श्री संजय दयाल, विशेष सचिव/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक/श्रीमती इन्दु कुमारी, विशेषा कार्य पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–3/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/2017
प्रधान सचिव